

न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 06/2015 वाद

दायर दिनांक:- 09/02/2015

निर्णय दिनांक:- 16/10/2018

अनवान

1. देउबाई पत्नि गणेशलाल भाम्भी निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
2. दुर्गादेवी पिता मोहनलाल बलाई निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
3. भंवरीबाई पिता बद्रीलाल सालवी निवासी चौकडी के बजाय मोहनलाल पिता बालुजी सरगडा निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
4. रामलाल पिता मूला सरगडा निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
5. शांतिलाल पिता गणेशलाल भाम्भी निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
6. हेमराज पिता शंकरलाल भाण्ड निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
7. गणेशलाल पिता मंगुराम भाम्भी निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
8. सत्यनारायण पिता मोहनलाल ढोली निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा

वादीगण

बनाम

01. सुरेशचन्द्र पिता लालुराम रेगर निवासी रेलमगरा तह0 - रेलमगरा
02. शीला पिता राकेश सांसी निवासी रेलमगरा तह0 - रेलमगरा
03. भगवतीया पिता रतनीया सांसी निवासी रेलमगरा तह0 - रेलमगरा (विलोपित)
- 3/1 - विनोद पिता हेमराज भाण्ड निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
- 3/2 - मोहनलाल पिता बालुराम सरगडा निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
04. दाडमबाई पति रामेश्वर ढोली निवासी रेलमगरा तह0 - रेलमगरा
05. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन

:: निर्णय ::

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता संक्षिप्त में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा के आराजी नम्बर 2187, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221 कुल किता-08 कुल रकबा 31-01 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की है जो अविभाजित है। अतः वादीगण के हिस्से अनुसार भूमियों का विभाजन कराया जाकर वादीगण को स्वतंत्र आधिपत्य दिलवाया

सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

जावें। राजस्व अभिलेख में स्वतन्त्र अंकन करवाया जावें। वादीगण के मध्य भी हिस्से अनुसार विभाजन करवाया जावें। वादग्रस्त भूमियों का विभाजन मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्धति के आधार पर करवाया जावें। जिस पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्तावत तैयार किया जाकर अपनी अनुशंषा के प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्धति के आधार पर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

विभाजन प्रस्ताव


क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	देउबाई पति गणेशलाल भाम्बी सा. मदारा खातेदार	2218/1	00-07-00	0.14
		2219	03-18-00	1.56
		2220	03-15-00	1.50
		2221	03-13-00	1.46
	योग	किता - 04	11-13-00	4.66
02	रामलाल पिता मुला सरगडा सा. मदारा खातेदार	2218/2	01-05-17	0.52
		योग	किता - 01	01-05-17
03	शांतिलाल पिता गणेश भाम्बी सा. मदारा खातेदार	2218/3	01-05-17	0.52
		योग	किता - 01	01-05-17
04	हेमराज पिता शंकरलाल भाण्ड सा. मदारा खातेदार	2218/4	01-05-17	0.52
		योग	किता - 01	01-05-17
05	गणेशलाल पिता मंगुराम भाम्बी सा. मदारा खातेदार	2217/1	00-06-06	0.13
		2218/5	00-19-11	0.39
	योग	किता - 02	01-05-17	0.52
06	सत्यनारायण पिता मोहनलाल ढोली सा. मदारा खातेदार	2217/2	00-10-00	0.20
		2218/6	00-15-17	0.32
	योग	किता - 02	01-05-17	0.52
07	दुर्गादेवी पति मोहनलाल बलाई सा. मदारा खातेदार	2217/3	02-00-00	0.80
		2218/7	02-02-04	0.84
	योग	किता - 02	04-02-04	1.64

सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

08	विनोद कुमार पिता हेमराज सा. मदारा खातेदार	2216/1	00-08-10	0.17
		2217 मीन	00-11-14	0.23
		2218/8	00-18-12	0.37
योग		किता - 03	01-18-16	0.77
09	मोहनलाल पिता बालु सरगडा सा. मदारा खातेदार 1714/1715, शीलादेवी पति राकेश सांसी 1/1715 सा.देह खातेदार	2215 मीन	01-17-00	0.74
		2216/2	00-11-00	0.22
		2187 मीन	01-14-19	0.70
		2218 मीन	00-02-16	0.05
योग		किता - 04	04-05-15	1.71
10	सुरेशचन्द्र पिता बालुराम रेगर सा. देह खातेदार	2215/1	00-07-00	0.14
		2216 मीन	01-15-00	0.70
योग		किता - 02	02-02-00	0.84
11	दाडमबाई पति रामेश्वर ढोली सा. देह खातेदार	2187/1	00-10-00	0.20
		योग	किता - 0	00-10-00

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक अंकन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। तहसील से प्राप्त विभाजन योजना निर्णय का जुज हिस्सा रहेगा। यदि किसी हिस्से पर बैंक रहन इत्यादि हो तो पूर्वानुसार यथावत रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/10/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

  
 (चन्द्रशेखर मण्डारी)  
 सहायक कलक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 रेलमगरा  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 रेलमगरा

मूल वाद में डिक्री ( आदेश 20 नियम 6 व 7 )  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द  
पीठासीन अधिकारी :- चन्द्रशेखर भण्डारी R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या :- 06/2015 वाद

अनवान

1. देउबाई पत्नि गणेशलाल भाम्भी निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
2. दुर्गादेवी पिता मोहनलाल बलाई निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
3. भंवरीबाई पिता बद्रीलाल सालवी निवासी चौकडी के बजाय मोहनलाल पिता बालुजी सरगडा निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
4. रामलाल पिता मूला सरगडा निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
5. शांतिलाल पिता गणेशलाल भाम्भी निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
6. हेमराज पिता शंकरलाल भाण्ड निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
7. गणेशलाल पिता मंगुराम भाम्भी निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
8. सत्यनारायण पिता मोहनलाल ढोली निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा

वादीगण

बनाम

01. सुरेशचन्द्र पिता लालुराम रेगर निवासी रेलमगरा तह0 - रेलमगरा
02. शीला पिता राकेश सांसी निवासी रेलमगरा तह0 - रेलमगरा
03. भगवतीया पिता रतनीया सांसी निवासी रेलमगरा तह0 - रेलमगरा (विलोपित)
- 3/1 - विनोद पिता हेमराज भाण्ड निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
- 3/2 - मोहनलाल पिता बालुराम सरगडा निवासी मदारा तह0 - रेलमगरा
04. दाडमबाई पति रामेश्वर ढोली निवासी रेलमगरा तह0 - रेलमगरा
05. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

दावा :- वाद बाबत् :- 53 RTA  
वादी की ओर से :- अधिवक्ता चावण्ड सिंह शक्तावत  
प्रतिवादी की ओर से :- अधिवक्ता अक्षय पालीवाल

मैं इस आशय में दिनांक 16/10/2018 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकरान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्धति के आधार पर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

राजस्व अभिलेख में स्वतन्त्र अंकन करवाया जावे। वादीगण के मध्य भी हिस्से अनुसार विभाजन करवाया जावे। वादग्रस्त भूमियों का विभाजन मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्धति के आधार पर करवाया जावे। जिस पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार रेलमगरा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्तावत तैयार किया जाकर अपनी अनुशंषा के प्रस्तुत किया जाया। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा अपनी अनुमति प्रदान की गयी। अतः वादीगण का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्धति के आधार पर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

विभाजन प्रस्ताव

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	देउबाई पति गणेशलाल भाम्बी सा. मदारा खातेदार	2218/1	00-07-00	0.14
		2219	03-18-00	1.56
		2220	03-15-00	1.50
		2221	03-13-00	1.46
	योग	किता - 04	11-13-00	4.66
02	रामलाल पिता मुला सरगडा सा. मदारा खातेदार	2218/2	01-05-17	0.52
		योग	किता - 01	01-05-17
03	शांतिलाल पिता गणेश भाम्बी सा. मदारा खातेदार	2218/3	01-05-17	0.52
		योग	किता - 01	01-05-17
04	हेमराज पिता शंकरलाल भाण्ड सा. मदारा खातेदार	2218/4	01-05-17	0.52
		योग	किता - 01	01-05-17
05	गणेशलाल पिता मंगुराम भाम्बी सा. मदारा खातेदार	2217/1	00-06-06	0.13
		2218/5	00-19-11	0.39
		योग	किता - 02	01-05-17
06	सत्यनारायण पिता मोहनलाल ढोली सा. मदारा खातेदार	2217/2	00-10-00	0.20
		2218/6	00-15-17	0.32
	योग	किता - 02	01-05-17	0.52
07	दुर्गादेवी पति मोहनलाल बलाई सा. मदारा खातेदार	2217/3	02-00-00	0.80
		2218/7	02-02-04	0.84
	योग	किता - 02	04-02-04	1.64

सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

08	विनोद कुमार पिता हेमराज सा. मदारा खातेदार	2216/1	00-08-10	0.17
		2217 मीन	00-11-14	0.23
		2218/8	00-18-12	0.37
योग		किता - 03	01-18-16	0.77
09	मोहनलाल पिता बालु सरगडा सा. मदारा खातेदार 1714/1715, शीलादेवी पति राकेश सांसी 1/1715 सा.देह खातेदार	2215 मीन	01-17-00	0.74
		2216/2	00-11-00	0.22
		2187 मीन	01-14-19	0.70
		2218 मीन	00-02-16	0.05
योग		किता - 04	04-05-15	1.71
10	सुरेशचन्द्र पिता बालुराम रेगर सा. देह खातेदार	2215/1	00-07-00	0.14
		2216 मीन	01-15-00	0.70
योग		किता - 02	02-02-00	0.84
11	दाडमबाई पति रामेश्वर ढोली सा. देह खातेदार	2187/1	00-10-00	0.20
		योग	किता - 0	00-10-00

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक अंकन हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। तहसील से प्राप्त विभाजन योजना निर्णय का जुज हिस्सा रहेगा। यदि किसी हिस्से पर बैंक रहन इत्यादि हो तो पूर्वानुसार यथावत रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/10/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

  
 (चन्द्रशेखर भण्डारी)  
 सहायक कलक्टर  
 सहायक अधिकारी  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 रेलमगरा